डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/357/2021-23

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन 16 नवम्बर, 2023, डिस्पेच दिनांक 16 नवम्बर, 2023

| वर्ष 67 | अंक 12 | भोपाल | 16 नवम्बर, 2023 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

अब सीईओ एम.पी. के व्हाट्सएप चैटबॉट से मतदाता निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां कर सकेंगे प्राप्त

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन ने किया नवाचार, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मतदाताओं को मिलेगी जानकारी

भोपाल : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश द्वारा प्रदेश के मतदाताओं की सुविधा के लिए सीईओ एम.पी. के नाम से व्हाट्एप चैटबॉट लांच किया गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश के मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां आसानी से मिल सके, इसके लिए मतदाताओं को व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा प्रदान की गई है। इस नवाचार के तहत चैटबॉट के माध्यम से बातचीत कर मतदाता निर्वाचन से संबंधित विभिन्न जानकारियां जैसे मतदाता सूची में नाम दर्ज है या नहीं, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के तरीके, उसमें लगने वाले दस्तावेज आादि निर्वाचन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में 24 घंटे उपलब्ध है।

व्हाट्सएप चैटबॉट व्हाट्सएप चैटबॉट ceomadhyapradesh.nic.in पर उपलब्ध है। नागरिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से व्हाट्सएप चैटबॉट से जुड़ सकते हैं।

व्हाट्सएप चैटबॉट से वेबसाइट के साथ ही मतदाता क्यूआर कोड के माध्यम से भी सीईओ एमपी के व्हाट्सएप चैटबॉट से आसानी से जुड़ सकते हैं। इसके लिए मतदाताओं को क्यूआर कोड स्कैन कर लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सीईओएमपी के नाम से वैरीफाइड व्हाट्सएप पेज ओपन होगा। क्यूआर कोड भी ceomadhyapradesh.nic.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल

70वें सहकारी सप्ताह (14 से 20 नवम्बर, 2023)

"5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था एवं संवहनीय विकास लक्ष्य में सहकारी समितियों की भूमिका"

" Role of Cooperatives in $5 Trillion Economy and SDGs"

14.11.2023	सहकारी क्षेत्र की नई गतिविधियां Recent Developments in Cooperatives	म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल
15.11.2023	गैर साख सहकारिताओं का पुनर्जीवन तथा वित्तीय समावेशन Revitalization of Non-Credit Cooperatives and Financial Inclusion.	म.प्र. राज्य सहकारी बीज संघ मर्यादित, भोपाल
16.11.2023	सहकारिताओं के डिजिटलीकरण हेतु प्रौद्योगिकी का अभिग्रहण एवं उन्नयन Adoption and Upgradation of Technology for Digitalization of Cooperatives.	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल एवं म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल
17.11.2023	सहकारिताओं के लिये उभरते क्षेत्र एवं व्यवसाय सुगमता। Emerging Areas and Ease-of-Doing Business for Cooperative	म.प्र.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ भोपाल
18.11.2023	सरकारी – निजी–सहकारी भागीदारी का सुदृढ़ीकरण Strengthening Public-Private-Cooperative Partnership.	म.प्र. राज्य दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित, भोपाल
19.11.2023	महिलाओं, युवाओं एवं कमजोर वर्गों के लिये सहकारिता Cooperatives for Women, Youth, and Weaker Sections.	म.प्र.राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ एवं म.प्र. मत्स्य (सहकारी) महासंघ
20.11.2023	सहकारी शिक्षा एवं प्रशिक्षण का पुर्नोत्थान Revamping of Cooperative Education and Training.	म.प्र. राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित, भोपाल

म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा संचालित

(म.प्र. शासन सहकारिता विभाग द्वारा अनुमोदित)

सहकारी संस्थाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु सहकारी प्रबंध में उच्चतर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम

Higher Diploma in Cooperative Management (HDCM)

योग्यता - स्नातक उत्तीर्ण अवधि - 20 सप्ताह

कुल फीस - 20200/-

ऑनलाईन आवेदन/ प्रवेश की अंतिम तिथि – 15.12.2023

ऑनलाइन आवेदन / प्रवेश हेतु राज्य संघ के पोर्टल www.mpscuonline.in पर विजिट करें।

शीघ्र आयें प्रवेश पायें माध्यम ऑनलाईन

संपर्क : म.प्र.राज्य सहकारी संघ मर्यादित , भोपाल
ई- 8/77 शाहपुरा, त्रिलंगा,भोपाल फोन : 0755-2926160 , 2926159
मो. 8770988938 , 9826876158 Website-www.mpscu.in
Web Portal-www.mpscuonline.in
Email-rajyasanghbpl@yahoo.co.in

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
किला मैदान इंदौर, म.प्र. पिन – 452006
फोन- 0731-2410908 मो. 9926451862, 9755343053
Email - ctcindore@rediffmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र
हनुमान ताल जबलपुर, म.प्र पिन - 482001
मो. 9424782856 , 8827712378
Email - ctcjabalpur@gmail.com

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र नौगांव
जिला छत्तरपुर, म.प्र. पिन – 471201
मो. 9424782856 , 9755844511
Email - ctcnowgong@gmail.com

नर्मदापुरम् के शिल्पियों हेतु टेराकोटा माटी शिल्प पर प्रशिक्षण

भोपाल। भारत सरकार की वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी.एच.सी.डी.एस.) अंतर्गत गुरू–शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा कारीगरों को प्रशिक्षित कर टेराकोटा माटी शिल्प विधा में सिद्धहस्त बनाने के लिए दिनांक 08.09.2023 को श्री मनोज राठी एवं श्री प्रिंस कुमार, प्रतिनिधि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हस्तशिल्प सेवा केन्द्र इंदौर, श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक, म.प्र.राज्य सहकारी संघ भोपाल, श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, संचालक, पॉटर्स द स्टूडियों, श्री धर्मेंद्र राजपूत, सचिव, सीड संस्थान भोपाल, श्री विनोद कुशवाहा, जिला सहकारी प्रशिक्षक, राज्य सहकारी संघ भोपाल, श्री अवतार सिंह, सीड की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया।

श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव, संचालक, पॉटर्स द स्टूडिया ने कविता के माध्यम से बताया कि, ''निर्मम कुम्हार की थापी से कितने रूपों में कुटी, पिटी हर बार बिखेरी गई किंतु मिट्टी फिर भी तो नहीं मिटी'' इस अमिट मिटटी को हमारे पुरखे बड़े कौशल से सहेज गए। इसके खिलौने बने और मंदिर तथा मुर्तियों से लेकर भव्य भवन बने। मिट्टी के इस शिल्प को टेराकोटा शिल्प कहा जाता है। जिसके बारे में विपुल साहित्य भी है और साकार स्वरूप भी है। टेराकोटा का आशय पकी हुई मिट्टी से है। यह इटालियन शब्द है गीली मिट्टी को पकाकर जो उपादान निर्मित किये जाते है उन्हें टेराकोटा शिल्प के नाम से जाना जाता है। मिट्टी की इस महान रचाव यात्रा की कहॉनी अनंत है। इनमें सिन्धु घाटी की सभ्यता मे मिले उदाहरणों से लेकर हड़प्पा काल, मौर्य, शुंग और गुप्त काल से लेकर आज के मोलेला ग्राम के शिल्प तो हैं ही चन्द्रकेतुगढ़ की दिव्य अप्सराओं से लेकर बंगाल के मनभावन फलकों की झॉकी भी हैं।

मिट्टी की महिमा इसी में है कि वह मिटे, मिटकर संवरें और अपने आप से अपने आप को रच ले। उन्होंने सुमन जी की कविता को याद करते हुए कहा कि, ''मिट्टी की महिमा मिटने में, मिट–मिट हर संवरती हैं, मिट्टी–मिट्टी पर मरती, मिट्टी–मिट्टी को रचती है''।

श्री मनोज राठी, प्रतिनिधि, ने वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (सी.एच.सी.डी.एस.) अंतर्गत गुरू–शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया की यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दो माह (50 दिवस) की अवधि का है, जिसमें टेराकोटा शिल्प के विभिन्न प्रकार के उत्पाद का निर्माण कर विक्रय कला–कौशल एवं विपणन से अवगत कराने के साथ सभी प्रतिभागियों को प्रतिदिन 10:00 बजे से शाय 05:00 बजे तक प्रशिक्षण में अनिवार्य उपस्थिति देना होगी जिसकी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से होगी एवं प्रतिभागियों को निर्धारित शिष्यावृत्ति प्रत्येक दिवस के मान से प्रदाय की जावेंगी।

श्री संजय कुमार सिंह महाप्रबंधक, म.प्र.राज्य सहकारी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

(पृष्ठ 2 का शेष)

नर्मदापुरम् के शिल्पियों ....

संघ भोपाल अपने उद्बोधन में कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 08.09.2023 से दिनांक 07.11.2023 तक नर्मदापुरम स्थित पॉटर्स द स्टूडियों, मालाखेड़ी में संचालित किया गया। जिसमें आर्टिजंस को कुशल एवं बाजार अनूकुल उत्पाद उत्पादित करने हेतु प्रशिक्षण, टूल–किट, रॉ–मटेरियल, कॉमन फेसीलिटी सेंटर (सीएफसी), एम्पोरियम की सुविधा से उनके आर्थिक आय में वृद्धि हेतु परियोजना क्रियान्वित की जा रहीं है। प्रशिक्षित आर्टिजन्सों की सहकारी समितियों का गठन किया जावेगा। जिससे की भविष्य मे अपनी आर्थिक गतिविधियों का सुचारू रूप से संचालित कर सकें।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त डॉ. राजीव नाफडे एवं श्री मनोज प्रजापति, मास्टर ट्रेनर के द्वारा वर्तमान परिवेश में प्रचलित टेराकोटा शिल्प कला की जानकारी एवं प्रचलित आर्ट जैसे – मूर्तियां, आसन, घोड़ा, रथ, पशु, मिट्टी के सिक्के, खिलौने, शुभ मंगालिक कार्य के अवसर पर मण्डप में सजाए जाने वाले मिट्टी से बने कलश, त्रिशूल, गमले, दिपावली दीपक, कटौरे, लैम्प सेट, टेराकोटा ज्वेलरी, खाना पकाने एवं पूजा के बर्तन इत्यादि पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

प्रशिक्षण अवधि में आयुक्त तकनीकी शिक्षा तथा रेशम श्री मदन विभीषण नागरमोजे (आई. ए.एस.), शिखर सम्मान प्राप्त श्रीमति निर्मला शर्मा, भारत भवन के शिल्पी सुश्री निधि व गिरिजा, इग्रियन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट मैनेजमेंट नई दिल्ली की फैकल्टी, माननीय डॉ. महेश शर्मा, नोएडा, पुलिस महानिरीक्षक श्री इरशाद वली, आई.आई.टी. इंदौर के श्री अमनदीप श्रीवास्तव, आई.आई.एम. से प्रोफेसर डा. देसाई ने अपनी उपस्थिति दी एवं मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम की महत्ता, विपणन कला कौशल तकनीक, सहकारिता से समृद्धि तथा सहकारी हुनर हॉट से आर्टिजन्स के बने उत्पाद को अपनी पहचान बनाने में अवसर व बाजार, चयनित शिल्प/उद्यम के लिए संघ द्वारा हर प्रकार की सुविधा व संसाधन प्रदान किया जा रहा हैं। इस प्रशिक्षण से उनके हुनर में और निखार आयेगा। गुरू–शिष्य हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन दिनांक 07.11.2023 को नर्मदापुरम में श्री राकेश श्रीवास्तव, संचालक, व श्रीमति श्रीवास्तव पॉटर्स द स्टूडियों मालाखेड़ी, राज्य स्तरीय सम्मान प्राप्त मास्टर ट्रेनर डॉ. राजीव नाफडे, श्री अरूण कुमार जोशी, से.नि.प्राचार्य, राज्य सहकारी संघ एवं श्री विक्रम मुजुमदार तथा श्री मनीष राजपूत संचालक, सीड संस्था भोपाल के कर कमलों से समस्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण–पत्र प्रदाय किये गये। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री संतोष येड़े राज्य समन्वयक, श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य, श्रीमति मीनाक्षी बान, कम्प्यूटर व्याख्याता, श्री विनोद कुशवाहा, जिला सहकारी प्रशिक्षक, श्री अवतार सिंह, समन्वयक, सीड का विशेष सहयोग रहा। अन्त में सत्र समन्वयक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया।

भारत में सहकारी आंदोलन

भारत में सहकारिता

- अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन (International Cooperative Alliance- ICA), सहकारिता (Cooperative) को "संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्त संघ" के रूप में परिभाषित करता है।

संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान (97वाँ संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा भारत में काम कर रही सहकारी समितियों के संबंध में भाग IXA (नगरपालिका) के ठीक बाद एक नया भाग IXB जोड़ा गया।
  - o संविधान के भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में "संघ और संगठन" के बाद "सहकारिता" शब्द जोड़ा गया था।
  - o यह सहकारी समितियाँ बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार (Fundamental Right) का दर्जा प्रदान करता है।
  - o राज्य के नीति निदेशक तत्त्वों (Directive Principles of State Policy- भाग IV) में "सहकारी समितियों के प्रचार" के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था।

भारत में सहकारी आंदोलन की उत्पत्ति:

- आंदोलन का कारण: भारत में सहकारी आंदोलन का जन्म 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में व्याप्त संकट और उथल-पुथल से हुआ था।
  - o औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) ने ग्रामोद्योगों को खत्म कर दिया जिससे लोग कृषि करने के लिये मजबूर हुए और यह रोज़गार एवं आजीविका का एकमात्र साधन थी।
  - o परिणामी उप-विभाजन और जोतों के विखंडन ने कृषि को गैर-लाभकारी बना दिया था।
  - o अन्य कारक जैसे- भू-राजस्व संग्रह की कठोरता, वर्षा की अनिश्चितता, कम फसल उत्पादन आदि ने किसानों को साहूकारों के पास जाने के लिये मजबूर किया।
  - o साहूकारों ने या तो फसल को औने-पौने दाम पर खरीदकर या बहुत अधिक ब्याज दर वसूल कर पैसे उधार दिये।
  - o इन सभी कारकों ने एक वैकल्पिक माध्यम से सस्ते ऋण के प्रावधान की आवश्यकता पर बल दिया।
- भारत में अनौपचारिक सहकारिता: भारत के कई हिस्सों में कानून पारित होने से औपचारिक सहकारी ढाँचे के अस्तित्व में आने के परिणामस्वरूप पहले भी सहयोग और सहकारी गतिविधियों की अवधारणा प्रचलित थी।
  - o उनमें से कुछ को देवराय या वानराय, चिट फंड, कुरी, भिशी, फड़ आदि नामों से जाना जाता था।
  - o मद्रास प्रेसीडेंसी में 'निधि' या पारस्परिक-ऋण संघों को संगठित किया गया था।
  - o पंजाब में सह-साझेदारों के लाभ के लिये गाँव की सामान्य भूमि को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1891 में सहकारी तर्ज पर एक सोसायटी शुरू की गई थी।
  - o ये सभी प्रयास विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक और गैर-सरकारी थे।
  - o इस दिशा में पहला आधिकारिक कदम तब उठाया गया जब सर विलियम वेडरबर्न (Sir William Wedderburn) ने दक्कन के विद्रोह के बाद ग्रामीण ऋणग्रस्तता के विरुद्ध उपाय के रूप में कृषि बैंकों की स्थापना का प्रस्ताव दिया।

स्वतंत्रता पूर्व के सहकारी आंदोलन

सहकारी आंदोलन का प्रारंभिक चरण (1904-11)

भारत में पहला सहकारी अधिनियम:

- भारतीय अकाल आयोग (वर्ष 1901) ने सरकार को भारत में सहकारी समितियों की शुरुआत को लेकर रिपोर्ट करने हेतु सर एडवर्ड लॉ (Sir Edward Law) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने के लिये प्रेरित किया।
- वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा वर्ष 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम (Cooperative Credit Societies Act) पारित किया गया।
- अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:
  - o एक ही गाँव या कस्बे में रहने वाले या एक ही वर्ग या जनजाति से संबंधित कोई भी दस व्यक्ति सहकारी ऋण समिति का निर्माण कर सकते हैं।
  - o कुल सदस्यता (80%) के बहुमत के आधार पर समाजों को ग्रामीण और शहरी या कृषक या गैर-कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
  - o ग्रामीण समाज को लाभ वितरित करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन शहरी समाजों के मामले में शुद्ध लाभ का 25% आरक्षित निधि में दिये जाने के बाद लाभ वितरित किया जा सकता था।
- अधिनियम की कमियाँ:
  - o इस अधिनियम ने गैर-ऋण समितियों को कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं की।
  - o इसने कृषि कार्यों के वित्तपोषण हेतु शहरी बचत जुटाने का भी कोई प्रावधान नहीं किया था।
  - o शहरी और ग्रामीण में समाजों का वर्गीकरण मनमाना, अवैज्ञानिक और अत्यधिक असुविधाजनक पाया गया।
  - o 1904 के अधिनियम के कई प्रावधान आंदोलन के आगे प्रसार में बाधक बने।

सहकारी आंदोलन का संशोधन चरण (वर्ष 1912-1918)

वर्ष 1912 का सहकारी समिति अधिनियम:

- इस चरण में सहकारी समिति अधिनियम, 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 अधिनियम के दोषों को दूर किया गया।
- मुख्य विशेषताएँ:
  - o किसी भी समाज, ऋणदाता या किसी अन्य को पंजीकृत किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना हो।
  - o सेंट्रल बैंक या यूनियन जैसे एक संघीय समाज को पंजीकृत किया जा सकता है।
  - o ऐसे समाज में किसी भी सदस्य के पास कुल शेयर पूंजी के 1/5 भाग से अधिक या 1,000 रुपए से अधिक के शेयर नहीं हो सकते हैं।
  - o समितियों को अनिवार्य पंजीकरण और आयकर एवं स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट दी गई थी।

मैक्लेगन समिति:

- वर्ष 1915 में सर एडवर्ड मैक्लेगन की अध्यक्षता में एक समिति को इस बात का अध्ययन और रिपोर्ट करने के लिये नियुक्त किया गया था कि क्या सहकारी आंदोलन सामाजिक और आर्थिक रूप से मज़बूत आगे बढ़ रहा था या नहीं।
  - o समिति ने पाया कि निरक्षरता और जनता में अज्ञानता, धन का दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर भाई-भतीजावाद तथा ऋण देने में अत्यधिक देरी सहकारी आंदोलन के कुछ स्पष्ट दोष थे।
- समिति द्वारा दिये गए सुझाव:
  - o सभी सदस्यों को सहकारी सिद्धांतों से अवगत कराया जाना चाहिये।
  - o ऋण लेने की मुख्य कसौटी ईमानदारी होनी चाहिये।
  - o समिति की गतिविधियाँ केवल सदस्यों तक ही सीमित होनी चाहिये।
  - o अग्रिम ऋण देने से पहले आवेदनों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिये और ऋणों के प्रभावी उपयोग हेतु सावधानीपूर्वक अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिये।
  - o एक सदस्य को केवल एक ही वोट का सख्ती से पालन करना चाहिये।
- ☐ इन सिफारिशों को निम्नलिखित कारणों से व्यवहार में नहीं लाया जा सका:
  - o प्रथम विश्व युद्ध

सहकारी आंदोलन का विस्तार चरण (1919-29)

- मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार:
  - o वर्ष 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के माध्यम से सहकारिता एक प्रांतीय विषय बन गई जिसने आंदोलन को और गति दी।
  - o सहकारी आंदोलन को सफल बनाने के लिये विभिन्न राज्यों ने अपने-अपने अधिनियम पारित किये।
  - o इस अवधि के दौरान सहकारी समितियों की सदस्यता में काफी वृद्धि हुई।
- आर्थिक मंदी: वर्ष 1929 में महान आर्थिक मंदी देखी गई।
  - o कृषि जिंसों की कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट आई।
  - o अन्य आर्थिक संकटों के साथ बेरोज़गारी बढ़ी।
  - o कृषक, समितियों का ऋण नहीं चुका सकते थे।
  - o अधिक बकाया राशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ी और सहकारी समितियों की स्थिति खराब हो गई।

सहकारी समितियों के पुनर्गठन का चरण (1930-1946)

समितियों का गठन:

- सहकारी समितियों के पुनर्गठन की संभावनाओं की जाँच के लिये मद्रास, बॉम्बे, त्रावणकोर, मैसूर, ग्वालियर और पंजाब में विभिन्न समितियों का गठन किया गया।
- वर्ष 1937 में कॉन्ग्रेस मंत्रालय कई राज्यों में सत्ता में आया और इसने सहकारिता आंदोलन के प्रसार में रुचि को पुनर्जीवित किया।

द्वितीय विश्व युद्ध की भूमिका:

- द्वितीय विश्व युद्ध द्वारा निर्मित असामान्य परिस्थितियों ने सहकारी आंदोलन में दूरगामी विकास किया।
- कृषि वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगीं, ग्रामीण किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ हुआ और गैर-ऋण समितियों जैसे- विपणन, उत्पादन और उपभोक्ता समाजों में तेज़ी से वृद्धि हुई।
- वर्ष 1945 में अखिल भारतीय सहकारी योजना समिति ने भी सहकारी आंदोलन के विकास को गति दी।

सहकारी समितियों के संबंध में गांधीवादी समाजवादी दर्शन:

- समाजवादी समाज के निर्माण में सहयोग: गांधीजी के अनुसार, समाजवादी समाज के निर्माण और सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण के लिये सहयोग आवश्यक था।
  - o उनका मत था कि सहयोग लोगों को सशक्त बनाने के महत्त्वपूर्ण साधनों में से एक है।
- फीनिक्स आश्रम: महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 'फीनिक्स आश्रम' की स्थापना एक समाजवादी पद्धति में सहकारी संस्था के रूप में की थी।
  - o इसका उद्देश्य प्रत्येक सदस्य को दी गई तीन एकड़ भूमि पर खेती करना और अनुपस्थित भूस्वामियों के एक नए वर्ग के उद्भव को रोकना था।
- टॉल्स्टॉय फार्म: उन्होंने इस अवधि के दौरान दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित परिवारों के लिये पुनर्वास सहकारी बस्ती के रूप में टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना की।
  - o टॉल्स्टॉय के समाजवादी दर्शन में उनका पूरा विश्वास था।
- किसानों हेतु सहकारिता: दक्षिण अफ्रीका से लौटने पर गांधीजी ने भारत के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और अतिरिक्त कराधान, अवैध वसूली आदि से पीड़ित भारतीय किसानों का दिवालियापन और संकट को महसूस किया।
  - o उन्होंने देखा कि किसानों के बीच सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है।
  - o कृषि उत्पाद जैसे- कपास, चीनी, तिलहन, गेहूँ आदि पर आधारित कोई भी उद्योग सहकारी आधार पर होना चाहिये ताकि उत्पादक अपने उत्पादन का सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त कर सकें।

स्वतंत्रता के पश्चात् सहकारी आंदोलन

मिश्रित अर्थव्यवस्था का भाग:

- स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिये नियोजित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण को अपनाया, जिसमें तीन क्षेत्र शामिल थे, अर्थात् सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र।
- सहकारी समितियों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच संतुलन कारक की भूमिका निभाने की कल्पना की गई थी।

FYPs का भाग:

- स्वतंत्रता के बाद सहकारिता पंचवर्षीय योजनाओं (FYPs) का एक अभिन्न अंग बन गई।
- पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सहकारिता को लोकतंत्र के तीन स्तंभों में से एक माना, अन्य दो पंचायत और स्कूल थे।

सहकारिता की राष्ट्रीय नीति:

- 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC) ने सहकारी समितियों तथा कर्मियों के प्रशिक्षण और सहकारी विपणन समितियों की स्थापना के लिये एक राष्ट्रीय नीति की सिफारिश की थी।
- भारत सरकार ने 2002 में सहकारिता पर एक राष्ट्रीय नीति की घोषणा की।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

परीक्षा की तैयारी कैसे करें

छात्रों का जीवन संघर्षों और चुनौतियों से भरा होता है। उनके मन में परीक्षा के डर के साथ-साथ परीक्षा पास करने का भय भी भरा होता है। परीक्षा कैसे पास करें, विषयों में नंबर कैसे अधिक लायें, कक्षा में प्रथम स्थान कैसे प्राप्त करें, इसी प्रकार के सवाल हमेशा विद्यार्थियों के मन में चलते रहते है। इन सभी बातों का एक ही हल है, "परीक्षा की अच्छी तैयारी"।

भयभीत न होकर परीक्षा की तैयारी करें

परीक्षा का नाम सुनते ही छात्रों के मन में एक डर पैदा हो जाता है। परीक्षा के लिए वह किस तरह तैयारी करें जिससे की परीक्षा परिणाम में वह सबसे आगे आ सकें। ऐसी ही बहुत सारी बातें एक विद्यार्थी के मन में तनाव व अवसाद पैदा करती है। छात्रों के साथ ही उनके घर वाले भी चिंतित और परेशान रहते है।

परीक्षा का समय छात्रों के लिए एक कठिन समय होता है। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए छात्र को अपने पाठ्यक्रम के विषयों पर पूरी तरह से ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। जो छात्र कक्षा में पढ़ाये गये पाठ्यक्रमों का निरंतर अभ्यास करते है उनके लिए यह समस्या थोड़ी कम हो जाती है, पर अन्य छात्रों को भी इससे घबराये बिना परीक्षा की तैयारी में जुट जाना चाहिए।

कक्षा में अध्यापकों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी और ज्ञान विद्यार्थियों को दी जाती है। विद्यार्थियों में इन विषयों के मूल्यांकन के लिए लिखित, प्रायोगिक और मौखिक रूप में की आयोजन को ही हम परीक्षा कहते है। इसके द्वारा ही हम छात्रों की बौद्धिक क्षमताओं को जान पाते है। सामान्य रूप से परीक्षा का आयोजन मार्च-अप्रैल के महीनों में वार्षिक रूप में किया जाता है। पर नवीनतम दिनों में ऐसी परीक्षाएं हर महीने आयोजित की जाती है।

वार्षिक परीक्षा के आते ही छात्र उनकी तैयारियों में जुट जाते है। नोट्स तैयार करना, स्टडी मैटेरियल इकठ्ठा करना इत्यादि की तैयारी छात्र पहले ही शुरु कर देते है। इसकी वजह से वे थोड़े तनाव और चिंतित होते है। सभी माता-पिता भी अपने बेटे के साथ परेशान और चिंतित होते है, वे अपने बच्चों का मार्गदर्शन, उनका समर्थन और उन्हें हौसला देते है। किसी भी विद्यार्थी के लिए परीक्षा वह पड़ाव है, जो उनके आगे का भविष्य निर्माण और निर्धारण करता है। परीक्षा के परिणाम ही छात्रों के भविष्य बनाता है और उन्हें जीवन का उद्देश देता है।

आमतौर पर परीक्षा 3 प्रकार से आयोजित की जाती है –

1.मौखिक परीक्षा – मौखिक परीक्षा में परीक्षार्थी की क्षमता का आकलन मौखिक और कम समय निर्धारण में किया जाता है। इस प्रकार की परीक्षा में छात्रों को उत्तर त्वरित और मौखिक रूप में दिया जाता है।

2. लिखित परीक्षा – लिखित

परीक्षाओं के माध्यम से उनके लिखने की क्षमताओं और उनके शब्द त्रुटियों का आकलन किया जाता है।

3. प्रायोगिक परीक्षा – प्रायोगिक परीक्षाओं के माध्यम से छात्रों के विषय को प्रयोगों के रूप में करना होता है और उन चीजों को करके दिखाना होता है।

परीक्षा के तनाव से कैसे मुक्त हो

परीक्षा की तारीख नजदीक आते ही छात्रों के मन में तनाव, भ्रम और नकारात्मकता जन्म लेने लगती है। तिथि के नजदीक आते ही उनके मुश्किले बढ़ने लगती है। छात्र यह तय नही कर पाता की तैयारी कैसे और कहा से शुरु की जाये।

सभी छात्रों के उपर परीक्षा में उच्च स्थान और अच्छे नंबर लाने का दबाव होता है। इसी दबाव के कारण वह सही और अच्छे से अपनी तैयारी नहीं कर पाता है और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाता है। एक होनहार छात्रों में भी यह बात देखने को मिलती है, और इसके कारण उसके अंक औसत से भी कम आते है।

अच्छी तैयारी करने के तरीके

छात्रों को व्यर्थ की चिंताओं, तनावों और घबराहट को दूर करके अपने परीक्षा की तैयारी में जुटने की आवश्यकता है। तनाव मुक्त रहकर सही और अच्छी तैयारी करने के विभिन्न तरीके है, जिनमें से मैंने कुछ आपके सामने रखे है।

- परीक्षा की तैयारी पूर्व से ही करें।
- अपने विषयों के सिलेबस के अनुसार ही अपनी तैयारी करें।
- स्टडी मटेरियल और नोट्स इत्यादि इकठ्ठा कर लें।
- टाइम-टेबल बनाएं और उसपर अमल करें।
- एक योजना के साथ अपनी तैयारी को अंजाम दें।
- अनुशासन में रहें।
- नोट्स और किताबों के साथ रोजाना सुबह-शाम उनका अभ्यास करें।
- रोजाना पौष्टिक आहार ग्रहण करें।
- समय के अनुसार प्रयाप्त नींद लें।
- थोड़ा समय शारीरिक व्यायाम के लिए अवश्य निकालें।
- समयानुसार पढ़ाई से ब्रेक अवश्य लेते रहें।
- ब्रेक के समय दिमाग को शांत और खुश रखने के लिए खुद का मनोरंजन करें।
- तनाव को छोड़ खुद पर विश्वास बनाएं रखें।
- परीक्षा के दौरान हमेशा सकारात्मक सोच रखें।

परीक्षा के लिए कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें

परीक्षा के तारीख निर्धारित होने के बाद छात्र हमेशा ही तनाव और चिंतित रहते है। इस बात का उन्हें ध्यान रखना चाहिए की वो अपने मन को शांत रखे, सारा जोर अपनी पढ़ाई की ओर रखें। परीक्षा की तैयारी के वक्त सभी छात्रों को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए।

टाइम टेबल के साथ पढ़ाई के समय का निर्धारण

कई बच्चे बिना टाइम-टेबल के परीक्षा की तैयारी करते है तो कई टाइम-टेबल बनाकर। पर सभी बच्चों को हर विषय को पढ़ने के लिए एक टाइम-टेबल अवश्य बनाना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। इसके साथ ही समयानुसार उन्हें अंतराल भी लेना आवश्यक है। टाइम-टेबल बनाने के साथ छात्रों को अपनी पढ़ाई के लिए समय का निर्धारण भी करना चाहिए। ऐसा माना जाता है की सुबह का समय पढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, इसे ही हम ब्रम्ह-समय कहते है। इस समय पढ़ी गयी बातें लम्बे समय तक के लिए आपके दिमाग में बनी रहती है।

खुद को सेहतमंद रखें

परीक्षा आते ही छात्र चिंता और तनाव से भर जाते है, जिसके कारण वो समय से खाना-पीना नहीं करते और अंततः बीमार पड़ जाते है। अतः आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और हो सके तो समय निकाल व्यायाम करें।

खुद को टी.वी. या सोशल मिडिया से दूर रखे

छात्रों को यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए की परीक्षा खत्म होने तक वो खुद को टी.वी. और सोशल मिडिया से दूर रखें, ताकि आपके दिमाग में फ़िज़ूल की बात न रहें। एक फ्रेश माइंड के साथ आपके द्वारा पढ़ी गई बातें आपको लम्बे समय तक याद रहती है।

दिमाग को सकारात्मक बनाये

परीक्षा, पढ़ाई और ज़िन्दगी का केवल एक हिस्सा है। परीक्षा महत्वपूर्ण अवश्य है पर आपकी जिंदगी से ज्यादा महत्त्व नही रखता। छात्र अपनी मेहनत और लगन से पढ़ाई अवश्य करें, वे अवश्य सफल होंगे।

बचे हुए दिनों में हम परीक्षा की तैयारी कैसे करें?

बहुत से छात्र की यह परेशानी होती है कि अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, और वो अब क्या करें, पढ़ाई कैसे शुरू करें इत्यादि। छात्रों को इस बात से घबराने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो बस अपने आपको शांत रख अपने मेहनत और खुद पर भरोसा करके पढ़ाई में लग जाये। पढ़ाई के लिए जो जरूरी किताबे या नोट्स है सभी को इकठ्ठा करें। समय निर्धारण के साथ अपनी पढ़ाई शुरू करें। छात्र कोशिश करें की अपने क्लास या कोचिंग के नोट्स से पढ़े ताकि आपका कोर्स जल्दी और मन की शंका दूर रहे।

कुछ ऐसे भी छात्र होते है जो रोजाना नहीं पढ़ते है, तो ऐसे छात्र दिन में 2-3 घंटो के साथ अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें और बाद में अपना समय बढ़ा ले। समयानुसार छात्र विषय के महत्वपूर्ण चीजों पर ज्यादा जोर दें। छात्रों को खुद को भरोसा दिलाना होगा की वो अच्छा और बेहतर कर सकते है।

परीक्षा के दिनों को ध्यान में रखकर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करके आप विषयों के महत्वपूर्ण चुने हुए और जो कारगर साबित हो उसी की पढ़ाई करे तो आप अवश्य सफल होंगे। मुझे उम्मीद और भरोसा है जो चीजे मैंने आपको बताई है, वो आपकी परीक्षा और जीवन में हमेशा मददगार साबित होंगी।

निष्कर्ष

छात्र को परीक्षा की तैयारी के लिए अपने समय के प्रबंधन के साथ ही अपनी प्रतिभा और कौशल को भी दर्शाने की आवश्यकता है, ताकि वह समय रहते ही अपने विषय को अच्छे से पढ़कर खत्म कर सकें। छात्र को खुद के उपर भरोसा और विश्वास रखने की आवश्यकता है। वक्त रहते शुरू किया गया काम, आपकी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास अवश्य आपको सफल बनाएगा। छात्रों को परीक्षा के दिनों समय से उपयुक्त भोजन, उचित निद्रा, व्यायाम इत्यादि अच्छी चीजों को अपनाकर एक सेहतमंद स्वास्थ्य के साथ परीक्षा दें और एक बेहतर सफलता को प्राप्त करें।

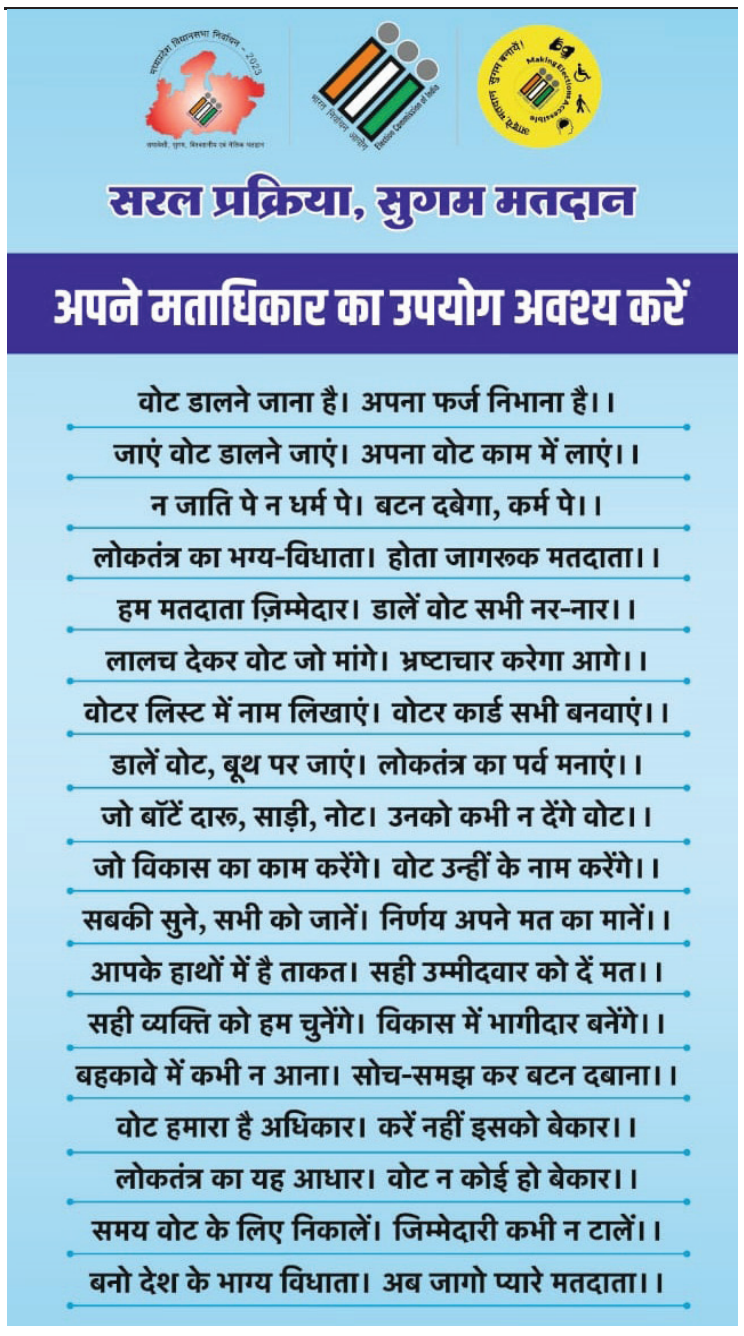

युवा और कृषि

एक कहावत है- "उत्तम खेती, मध्यम बान : अधम चाकरी, भीख निदान।" अर्थात् खेती करना सबसे अच्छा कार्य है। खेती के बाद व्यापार करना अच्छा कार्य है। इसके बाद चाकरी यानी नौकरी को स्थान दिया गया है और अंत में जब कुछ नहीं कर सकते तो भीख माँगना ही अंतिम विकल्प है, जिन्हें सबसे बेकार काम माना गया है। यानी कृषि कार्य बेकार नहीं है। यदि कृषि से युवा जुड़ जाए तो देश का काया-पलट हो सकता है।

असल में किसी भी देश के मानव संसाधन को उत्पादक बनाने में युवाओं का बड़ा योगदान रहा है। कुल जनसंख्या में युवाओं का प्रतिनिधित्व जितना ज़्यादा होता है समाज उतना ही ज़्यादा तरक्की की राह पर रफ़्तार भरता है क्योंकि समाज का सबसे सक्रिय और क्षमतावान वर्ग युवाओं का होता है। युवाओं की आत्मनिर्भरता का सीधा संबंध देश की खुशहाली से है। यदि एक युवा गलत रास्ता अपना ले तो वह सम्पूर्ण समाज के लिए समस्या बन जाता है। इसलिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उम्दा कौशल और टिकाऊ रोजगार देना समय की माँग बन गई है। "कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रोजगार की कोई कमी नहीं है और जहाँ युवा अपने नवाचार के द्वारा न केवल अपना भविष्य उज्ज्वल कर सकते हैं बल्कि देश की दशा और दिशा भी तय कर सकते हैं।"

भारत की 50 प्रतिशत से अधिक आबादी कृषि से ही जीविकोपार्जन करती है। जबकि आर्थिक दृष्टि से कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान मात्र 16% है। यानी कृषि को फिर से एक नई क्रांति की आवश्यकता है। युवाओं के द्वारा कमोबेश कृषि क्रांति का वह आधार तैयार हो चुका है जो भारत की तस्वीर बदल सकती है। दिक्क़त केवल इस बात की है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता और किसान स्वयं अपने बच्चों को कृषि कार्य में नहीं रखना चाहता है। इसी तरह कृषि की पढ़ाई करने वाले युवा भी वापस गाँव में जाकर खेती नहीं करना चाहता है। युवा जोखिम लेने के लिए जाने जाते हैं किंतु कृषि और किसान को भारत में ऐसे ट्रीट किया जाता रहा है जैसे वह समाज के मुख्यधारा से अलग हो। यानी "कृषि को बेकारों, बेगारों और निरक्षरों का पेशा मानने की मानसिकता पर पूर्ण-विराम लगाने की आवश्कता है।" यदि एक बार आत्मसम्मान और आर्थिक सुरक्षा की भावनाएँ युवा किसानों में आ गया तो न केवल युवाओं के अच्छे दिन आ सकते हैं बल्कि भारत फिर से बुलंदी पर चढ़ सकता है। क्योंकि "विकसित भारत का रास्ता युवाओं, खेतों और खलिहानों से होकर ही गुजरेगा।"

आसपास गौर करें तो मालूम पड़ेगा कि फल-फूलों की खेती, मशरूम की खेती, पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन,

मिल्क प्रोडक्ट तैयार करना, क्राफ्टेड फल के पौधे तैयार करना, खाद-बीज की दुकान लगाना, कुक्कुटपालन, मधुमक्खी पालन, सजावटी पौधों की नर्सरी खोलना, खाद्य प्रसंस्करण और आँवला, तिलहन, दलहन की प्रोसेसिंग यूनिट लगाना युवाओं को खूब भा रहा है। इस ओर युवाओं का रुझान बढ़ा है। कोरोना के बाद गाँवों में ही रोजगार की ओर आकर्षण का बढ़ना, देश और अर्थव्यवस्था के लिए शुभ संकेत है। यदि वैज्ञानिक पद्धति से कॉलेज स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाए, कुटीर एवं कृषि आधारित घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिले तो पैसे की चाहत में युवा वर्ग भी खेती की ओर जूनून के साथ रुख करेंगे।

युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए वर्तमान में देशभर में 73 कृषि विश्वविद्यालय प्रयासरत हैं। जहाँ कृषि की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो रही है। भारत का इजरायल के साथ कृषि शोध को लेकर करार हुआ है। अंतरिक्ष विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस, इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों को यदि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो कृषि क्षेत्र के लिये बेहतरीन शोध हो सकते हैं। जिससे कृषि के तकनीकीकरण, बाजारीकरण, डिजिटलीकरण और औद्योगिकरण को बल मिलेगा। और युवाओं को कृषि से जुड़ाव महसूस होगा।

दरअसल युवा और कृषि दो ऐसी विशेषताएँ हैं जो भारत को विशिष्टता प्रदान करती है। 'यूथ इन इण्डिया 2022' रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल जनसंख्या का 27.3% युवा आबादी है। यानी 37.14 करोड़ युवाओं के साथ भारत सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। और किसे नहीं पता कि भारत को कृषि प्रधान देश बोला जाता है! इस तरह युवा और कृषि भारत के लिए चुनौती नहीं बल्कि अवसर है। स्वरोजगार के तरफ युवाओं को आकर्षित करने में कृषि क्षेत्र सबसे आगे है। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि, कार्बनिक कृषि और व्यापारिक कृषि कुछ ऐसे कृषि के चुनिंदा प्रकार हैं जो युवाओं को खूब आकर्षित कर रहे हैं। युवा इस क्षेत्र में उद्यमशीलता और नवाचार के द्वारा आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं।

यदि किसान पढ़े-लिखे हो तो मौसम, मिट्टी, जलवायु, बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई से संबंधित सटीक जानकारी रखेंगे। फसलों को सही दाम कैसे मिले, कोल्ड स्टोरेज में फलों और सब्जियों को सुरक्षित कैसे रखा जाए और कृषि से प्राप्त कच्चे माल का निर्यात संबंधी गतिविधियों के बारे में ख़बर युवा किसान भलीभांति रखते हैं। जिससे ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल अब कृषि कार्य भी आधुनिक हो गया है। "एक जागरूक, शिक्षित, कर्मठ और दूरदर्शी किसान ही अपने खेत का सदुपयोग कर सकते हैं। फसलों की पैदावार और गुणवत्ता का कनेक्शन किसानों के मस्तिष्क से होता है।" निर्णय लेने की अच्छी क्षमता, विपरीत परिस्थियों में भी संयमता न खोना, फसल बीमा की सही जानकारी, कृषि ऋण की प्रक्रिया से अवगत होना, मजदूरों से समानुभूति बनाए रखना और बाजार के अनुकूल कल्पना करना; ये कुछ ऐसे गुण हैं जो युवा किसानों में कमोबेश पाए ही जाते हैं। जिससे कृषि कार्य रचनात्मक और आसान लगने लगता है। विकसित देशों में युवा दशकों से खेती-किसानी कर रहे हैं, और लगातार मानक स्थापित करते आ रहे हैं।

यदि युवा खेती नहीं करेंगे तो भविष्य के किसान कहाँ से आएँगे! युवा गाँव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। सरकारी नौकरी से लगाव इतना ज़्यादा है कि इन्हें जीवन-मरण का प्रश्न मान बैठते हैं। दरअसल युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए कुछ बदलाव की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में एमएस स्वामीनाथन की अगुआई वाले राष्ट्रीय किसान आयोग का जिक्र ज़रुरी है। अन्न की आपूर्ति को भरोसेमंद बनाने और किसानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से साल 2004 में केंद्र सरकार ने एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया था। इसने कुल पाँच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में युवाओं की रुचि बनाई रखने की ज़रूरत पर ज़्यादा जोर दिया था। इसके रिपोर्ट में भूमि बंटवारा, भूमि सुधार, सिंचाई सुधार, उत्पादन सुधार, ऋण और बीमा, खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली में सुधार, प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना तथा रोजगार सुधार जैसे विषयों पर ध्यान आकर्षित किया गया था। यदि इन तमाम मुद्दों पर सही से ध्यान दिया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एक दिन अधिकांश भारतीय युवाओं का लक्ष्य किसान बनने का हो सकता है!

कृषि में युवाओं के आने से कई लाभ हैं जैसे- ज़्यादा से ज़्यादा युवा स्वरोजगार कर पाएँगे, उपभोगता अथवा डिमांड के मुताबिक कच्चा माल का उत्पादन समय पर हो सकेगा, लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार संबंधी मुद्दे का काफी हद तक हल हो जाएगा, गाँवों का सतत और टिकाऊ विकास होगा और साक्षर किसान होने के नाते जमीन की उर्वरता बनी रहेगी। कृषि कार्य में समय का काफी महत्व है, सही समय पर और सही तरीके से खेतों की जुताई, फसलों की बुआई, रोपाई, निराई, सिंचाई और कटाई न हो तो सही लाभ किसानों को नहीं मिल पाता है। युवा किसान इन सभी चुनौतियों का सामना ठीक से कर लेते हैं जिससे उन्हें विशेष समस्याएँ नहीं झेलनी पड़ती हैं। आजकल तो बड़े-बड़े शैक्षणिक संस्थानों जैसे- IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़े-लिखे युवा कृषि में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

क़ायदे से पढ़ा भारतीय युवा फूड प्रोसेसिंग, वेल्यू एडिशन, टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग को भलीभांति जानते हैं। गाँव में ही प्रोसेसिंग हो, गाँव में ही पैकेजिंग हो और वहीं से सीधे बाजार तक सामान पहुँचे तो युवाओं को खेती-किसानी से कोई परहेज न होगा। आजकल तो कई युवा किसान ऐसे हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिंक स्थापित हो गया है और वे ठीक-ठाक लाभ कमा रहे हैं। अधिक से अधिक युवा कृषि कार्य से जुड़ें इसके लिए भागीरथ प्रयास की आवश्कता है। क्योंकि "हमारे सामने यह चुनौती है कि किसानों की अगली पीढ़ी कैसे तैयार हो। अगर युवा इसमें नहीं आएंगे तो हम किसान कहाँ से लाएंगे।" देश के नीति निर्धारणकर्ताओं के सामने चुनौती है कि ऐसी नीतियाँ बनाएँ कि गाँवों में युवा रह सके और खेती-किसानी कर सके। इससे युवाओं के साथ-साथ भारत का भी उद्धार होगा। तब बेरोजगारी का समाधान यूँ ही हो जाएगा। "कृषि में युवाओं के आने से युवा आत्मनिर्भर होंगे, युवाओं के आत्मनिर्भर होने से देश आत्मनिर्भर होगा। अंततोगत्वा राष्ट्र का कल्याण होगा।"

गौरतलब है कि भारत में कृषि को कमतर आँका गया है। जो कुछ नहीं करता वही किसान बनता है, इस प्रकार की अवधारणा को इतना बल मिला कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारतीय कृषि उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाई जिनकी वह हकदार है। चूँकि अब दुनिया स्टार्टअप युग में है इसलिए कृषि क्षेत्र में भी युवा बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। भारत के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में फसलों के बीज, फलों के बीज और जैविक उर्वकों पर शोध कार्य हो रहे हैं। कई खाद्य पदार्थों को GI टैग दिया जा रहा है। विदेश में भारत के कई कृषि उत्पाद डिमांड में रहते हैं जैसे- बासमती चावल, जर्दालू आम, शाही लीची, दार्जिलिंग चाय और दरभंगा मखाना इत्यादि। इसलिए युवा धीरे-धीरे ही सही, कृषि को रोजगार के रूप में अपना रहे हैं।

भारत के पास युवाओं की अच्छी जनसंख्या है, बड़ा बाजार है, उत्पादों को खपाने के लिए करोड़ों की संख्या में उपभोगता वर्ग हैं और विविध फसलों के लिए विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ और मौसम हैं। फसलों को सिंचित करने के लिए सैकड़ों कलकल करती नदियाँ हैं, सस्ता श्रम है। आवश्यकता सिर्फ ऊर्जावान शिक्षित युवा किसानों की है, जो खेत-खलिहानों में नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाए। इसलिए युवा सोच ले तो भारत के खेतों को नवाचार और कर्मठता से लहलहा सकता है। यूँ ही नहीं कहा गया है-

'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती,

मेरे देश की धरती...'

(पृष्ठ 5 का शेष)

भारत में सहकारी आंदोलन

एनसीडीसी की स्थापना:

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को एक सांविधिक निगम के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 के तहत स्थापित किया गया था।

सहकारिता के लिये गठित समितियाँ:

- 1954 में ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति ने सभी स्तरों पर सहकारी समितियों में राज्य की भागीदारी की सिफारिश की।
- एस.टी. राजा समिति को भारत सरकार द्वारा सहकारी कानून में संशोधन का सुझाव देने के लिये नियुक्त किया गया था।
  - o समिति ने सहायता प्राप्त सहकारी समितियों के प्रबंधन पर राज्य की भागीदारी तथा सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों की नियुक्ति के लिये एक मॉडल अधिनियम तैयार किया।

भारत में सफल सहकारी समितियाँ:

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र: राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (NAFED), भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO), AMUL और सहकारी ग्रामीण विकास ट्रस्ट (CORDET)।
- बैंकिंग क्षेत्र: पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक, भारत सहकारी बैंक तथा सारस्वत सहकारी बैंक।

सहकारी क्षेत्र के समक्ष मुद्दे:

- अत्यधिक सहकारी विधान: भारत में सहकारी समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। सहकारिता भारत के संविधान और राज्य सहकारी कानूनों के तहत एक राज्य का विषय है तथा उनका कार्यान्वयन काफी भिन्न है।
- गैर-ज़िम्मेदारी और गैर-जवाबदेही: शासन व्यवस्था में अत्यधिक अपर्याप्तता, जिनमें बोर्ड की भूमिका और जिम्मेदारियाँ भी शामिल हैं।
  - o बोर्ड के लोगों को कई असुविधाओं के मामले में जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है।
- मान्यता का अभाव: नीति निर्माताओं और जनता दोनों के बीच सहकारी समितियों को आर्थिक संस्थानों के रूप में मान्यता का सामान्य अभाव।
  - o सक्षम पेशेवरों को आकर्षित करने और बनाए रखने में असमर्थता।
- पूंजी निर्माण की कमी: पूंजी निर्माण के लिये प्रयासों की कमी विशेष रूप से सदस्य इक्विटी और सदस्य हिस्सेदारी बढ़ाने से संबंधित है।
- जागरूकता की कमी: लोगों को सहकारी संस्थाओं के आंदोलन, नियमों और विनियमों के उद्देश्यों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है।

निष्कर्ष

- सहकारी समितियों की सामूहिकता को बढ़ावा देने और देश के सामाजिक पूंजी आधार को संरक्षित करने में एक अग्रणी भूमिका है।
  - o सामूहिकता और लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिये सहकारिता सबसे अच्छा माध्यम है।
- सहकारी समितियों जैसे सामाजिक संगठनों के एक बड़े नेटवर्क की उपस्थिति, सामाजिक पूंजी के निर्माण और उपयोग में सहायक होगी तथा 'जितनी अधिक सामाजिक पूंजी होगी, विकास की संभावना उतनी ही अधिक होगी'।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान (मैनेज)
(कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन)
NATIONAL INSTITUTE OF AGRICULTURAL EXTENSION MANAGEMENT
(An Organization of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare Govt. of India)

Nodal Training Institute (NTI)
मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल
(M.P. State Cooperative Union Ltd. Bhopal)
E-8/77 Trilanga Road, Shahpura Bhopal -462039

Diploma in Agricultural Extension Services for Input Dealers (DAESI)
डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स (देसी)
"इनपुट डीलरों के लिए कृषि विस्तार सेवाओं में डिप्लोमा" (देसी)
शीघ्र आयें प्रवेश पायें

उद्देश्य : इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चरल इनपुट्स डीलर्स को पैरा–एक्सटेंशन प्रोफेशनल्स में बदलना है। जिससे एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सिस्टम को मजबूत किया जा सके। इससे इनपुट डीलर्स को किसानों की बेहतर सेवा करने में मदद मिलेगी जिससे :–

- इनपुट के कुशल संचालन में इनपुट डीलरों की क्षमता का निर्माण।
- कृषि आदानों के विनियमन को नियंत्रित करने वाले कानूनों के बारे में ज्ञान प्रदान करना।
- किसानों के लिए इनपुट डीलरों को ग्रामीण स्तर पर कृषि संबंधी जानकारी का एक प्रभावी स्त्रोत (वन स्टॉप शॉप) बनाना।

एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स क्यों करें?

- एग्रीकल्चरल डिप्लोमा एग्रीकल्चर या जैविक प्रक्रिया से संबंधित है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य तकनीकी स्तर पर मानव संसाधन का विकास कर एग्रीकल्चर उद्योग की प्रगति करना है।
- इस कोर्स में किसी भी एग्रीकल्चर उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों के कौशल को बढ़ाया जाता है।
- एग्रीकल्चर में डिप्लोमा कोर्स के साथ छात्र 10वीं के बाद से ही अपने प्रारंभिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं।
- इस कोर्स के जरिए एग्रीकल्चर उद्योग में आवश्यक कौशल सीखने से अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी क्योंकि गुणवत्ता वाले उत्पादों की मांग अधिक है।
- कृषि डिप्लोमा कोर्स छात्रों के सामने करियर के विभिन्न अवसर खोलता है। बड़ी–बड़ी नामी कम्पनियां जैसे–ITC, Britannia, Godrej आदि डिप्लोमा छात्रों को इंटर्नशिप भी ऑफर करती हैं।
- ग्रामीण रोजगारोन्मुखी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण स्तर पर बीज, खाद, कीटनाशक या दवाई की दुकान के लाइसेंस की आवश्यकता होती है। वर्तमान में लाइसेंस लेने के लिए युवक–युवतियों को परेशानी न हो इसके लिए राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान भोपाल, आत्मा एवं म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल के सहयोग से देसी कोर्स की शुरूआत की गयी है।

इन विषयों पर मिलेगा प्रशिक्षण :–

सैद्धांतिक प्रशिक्षण के अंतर्गतः–

क्र	विषय
1.	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन।
2	वर्षा आधारित खेती।
3.	बीज एवं बीज उत्पादन।
4	सिंचाई तकनीक एवं उनका प्रबंधन।
5	खरपतवार प्रबंधन।
6	कृषि उपकरण और मशीनरी की जानकारी।
7	कृषि में कीट एवं रोग नियंत्रण।
8	प्रमुख स्थानीय फसलों की फसल उत्पादन तकनीक।
9	कृषि आदानों से संबंधित अधिनियम, नियम एवं विनियम।
10	कृषि क्षेत्र से संबंधित शासन की विभिन्न योजनाएं एवं कृषि प्रसार तकनीक।
11	विस्तार दृष्टिकोण और तरीके।
12	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
13	फसल बीमा योजना।
14	बीज, कीट व मण्डी अधिनियम।
15	उर्वरक अधिनियम।

व्यावहारिक प्रशिक्षण के अंतर्गतः– व्यावहारिक प्रशिक्षण वर्ग के अंतर्गत कृषि से संबंधित संस्थान जैसे – कृषि विज्ञान केन्द्र, मृदा जांच प्रयोगशाला, कृषि महाविद्यालय/ कृषि विश्वविद्यालय, उद्यानकीय महाविद्यालय, क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान एवं प्रगतिशील किसानों के प्रक्षेत्र पर प्रशिक्षणार्थियों को एक्सपोजर विजिट कराया जावेगा।

अवधि – 01 वर्ष

यह कार्यक्रम 48 सप्ताह की अवधि का है जिसमें 40 कक्षा सत्र एवं 08 फील्ड विजिट है।

यह कोर्स सप्ताह में एक दिन (सरकारी अवकाश के दिन) आयोजित किया जाता है।

पाठ्यक्रम शुल्क–

देसी डी.डी. : "Diploma In Agriculture Extension Services For Input Dealers, Bhopal" के नाम की डी.डी. राशि रु. राशि रू. 20,000/–

शैक्षणिक योग्यता–10 वीं उत्तीर्ण से लेकर डिग्रीधारक तक।

कुल सीट – 40

आवश्यक दस्तावेज

- 10 वी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- 12वी उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- स्नातक उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- स्नातकोत्तर उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- दो पासपोर्ट साईज फोटो
- वैध लाईसेंस की प्रति (यदि आप कृषि इनपुट डीलर के रूप में काम कर रहे हैं)

कार्यक्रम की अधिक जानकारी के लिए संपर्क सूत्र–

07554034839, 9826821281, 9826876158, 8770995805
Website- www.mpscu.in, www.mpscuonline.in
Email : rajyasangh@yahoo.co.in

सहकारी प्रसार अधिकारियों हेतु 12 सप्ताहिक प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रम

भोपाल। बिहार राज्य सहकारिता विभाग के पदाधिकारियों हेतु श्री ऋतुराज रंजन प्रबंध संचालक एवं श्री संजय कुमार सिंह, महाप्रबंधक म.प्र. राज्य सहकारी संघ भोपाल के मार्गदर्शन में कार्यक्रम संचालित किया जा रहा हैं। श्री जी.पी. मांझी, प्राचार्य सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल ने बताया कि बिहार राज्य के पदाधिकारियों को सहकारिता पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री श्रीकुमार जोशी (से. नि. सयुक्त आयुक्त सहकारिता विभाग) विषय विशेषज्ञों के द्वारा सहकारी समिति के अधिकार एवं प्राथमिकता, सहकारी संस्था पर संवैधानिक नियंत्रण, अंकेक्षण एवं अंकेक्षण शुल्क, जांच के आधार, जांच, इसकी प्रक्रिया, आदेश, जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही, संस्थाओं का निर्वाचन की प्रक्रिया उम्मीदवारों की योग्यता, वर्तमान में आरक्षण तथा अन्य जानकारियां, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण, अधिकार एवं इसके प्रतिवेदन पर कार्यवाही, अधिभार प्रक्रिया निर्धारण तथा उत्तरदायित्व, विवाद का निर्धारण, विवाद के प्राधिकारी पक्षकार, सुनवाई तथा अधिकार, डिक्री, आदेश, अवार्ड, परिसमापन आदेश, परिसमापक की नियुक्ति, अधिकार, संपत्ति एवं दायित्व का निराकरण, अतिरिक्त संपत्ति का निराकरण, अंतिम प्रतिवेदन तथा कार्यवाही विषयों पर, श्री अविनाश सिंह से.नि. वरि. सह. निरीक्षक विषय विशेषज्ञ द्वारा असाख सहकारी संस्थाओं का वर्गीकरण एवं उपविधि अनुसार उनका कार्य व्यवसाय, सदस्यता, संस्थावार उनकी पात्रता, अधिकार एवं सदस्यता का अंतरण, संचालक की योग्यता, संस्था के वर्गीकरण के अनुसार, संस्थाओं का निर्वाचन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों की योग्यता, वर्तमान में आरक्षण तथा अन्य जानकारियां विषयों पर, डॉ. आनंद पराडकर, विषय विशेषज्ञ द्वारा वर्कशीट का निर्माण, एक्सल 2007 एवं 2010 का परिचय, फॉर्मूला, क्लिपबोर्ड कॉपी, एडवांस टेक्नीक ऑफ एक्सल, एडिटिंग वर्क बुक (प्रतिशत् फामूला) कामेंट इंसर्ट टू इंसर्ट कामेंट, फार्मूला से निर्णय बनाना, हेडर–फूटर मार्जिन, वर्कबुक मे इंपीलीमेंट करना, मर्ज, आउट लाइन, आटो क्लियर फॉर्मेटिंग, हाइन आउट लाइन सेमबोल, ग्रुप रो या कॉलम आउट लाइन विषयों पर, श्री पी. के.एस. परिहार, से.नि. प्रबंधक, अपैक्स बैंक विषय विशेषज्ञ द्वारा पंचायती राज–व्यवस्था अवधारणा एवं संरचना, सामाजिक वानिकी शुल्क एवं पड़त भूमि का विकास, राज्य स्तरीय ग्रामीण विकास के अन्य कार्यक्रम व नीतियां, भारतीय एवं वैश्वविक कृषि, कृषि क्षेत्र मे आपका समविवरण, कृषि संगठन एवं कृषि व्यवस्थाएं, भूमि उपयोग का स्वरूप एवं फसले, गहन एवं विस्तार कृषि विषयों पर, श्री अभय गोखले से.नि. महाप्रबंधक, अपैक्स बैंक विषय विशेषज्ञ द्वारा दोहरी लेखा पद्ध ति, लेखा का परिचय, कैश रोकड़, मरकनटाइल सिस्टम, मिस्ड सिस्टम मे द्वितीय लेखा पद्धति, एडवांडजेज, फेक्टरस् कॉमन टू एवरी बिजनेसस्, टाइप ऑफ एकांउट–पर्सनल, रियल, नोमीनल एकांउट के नियम, डेबिट, क्रेडिट एसपेक्ट, कॉमन एकांउटिंग सिस्टम इन कोपरेटिव सोसायटी. एकांउटिंग बुक एंड रिकार्ड, परिचय कीपिंग बुक रिकॉर्ड, एकाउंटिंग बुकस् रिकार्ड कैश बुक, टाइप ऑफ कैश बुक, प्रीपरेशन आफ कैश बुक–पेट्टी कैश बुक, प्रीपरेशन आफ लेजर, टायइल बैलेंस, मीनिंग आफ ऑब्जेक्टिव इरर नोट डिसक्लोजड वाइ टीराइल बैंलेस विषयों पर, डॉ. आर. के. गंगेले वरिष्ठ अधिकारी अपैक्स बैंक, विषय विशेषज्ञ के द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949 जो सहकारी बैंक पर लागू है के प्रमुख प्रावधान विषय पर, डॉ. अतुल दुबे प्रोफेसर बी.एस.एस.आई.ए.एस. कॉलेज, भोपाल विषय विशेषज्ञ द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विषय पर डॉ. सृष्टि उमेकर मोटिवेशनल स्पीकर एवं अर्थशास्त्री द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, मीनिंग, डेफीनेशन इम्पोर्टेंट इफ मार्केटिंग इन डेफरेंट सेक्टर एण्ड को–ऑपरेटिवस्, ऑब्जेटिवस् आफ मार्केटिंग टाइप आफ मार्केट नीडस् डिमांड मार्केटिंग इन को–ऑपरेटिवस्, डिटरमेशन आफ मार्केटिंग मिक्स–4पीएस आफ मार्केटिंग 3 एडीसनल पी. एस. आफ सर्विस मार्केटिंग, प्रथम पी–प्रोडक्ट व्हाट इज प्रोडेक्ट न्यू प्रोडेक्ट डेवलपमेंट विषयों पर, श्री आर.पी. हजारी प्रबंधक एवं प्राचार्य अपैक्स बैंक विषय विशेषज्ञ के रूप मे सहकारी साख का अर्थ–साख के प्रकार, अल्पकालीन सहकारी साख संरचना, ऋण प्रदाय हेतु वितत व्यवस्था विषयों पर

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री विक्रम मुजुमदार, श्री विनोद कुमार कुशवाहा, श्री धनराज सैंदाणे, श्री संतोष येड़े का विशेष सहयोग रहा।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी
डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।